

फर्त अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सपरबण्ड अधिकारी, माण्डल

शमलान बगाम उदा

किरम मुकदमा ताद 10 17 रान 2015

देनांक	हुयम या कार्यवाही मय इतिहास जज	नमर व लशिक अहकाम जज हुयम मुकदमा की नमर देनांक
2-15	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जोज प्रस्तुत हुआ दस शरिस्तर किया जजकर विपक्षीगण को सम्मान नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 7-4-15 पेश हो ।</p> <p>सपरबण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
7-4-15	<p>नकील वकील उपस्थित / प्रतिवादी म । नी उंगर में अदिवार पत्र शमलाल वीध अदिबन-ता ने अदिवार पत्र पेश किया व प. प्रतिवादी म 2 व उकील वीगड / प्रतिवादी म 0 / नी उंगर में जवाब पेश किया जिस नी एव प्रति अदिबन वादी नकील वीगड / प्रतिवादी म 0 4, 5, 6 को रुक-रुक कर तीन बार उवाजे एवाइ गई उपस्थित होने में एव तरफा पत्रवादी व मुद्रा दिखे जाते थे, पत्रावली करते जवाब दिनांक 21-4-15 को पेश हो ।</p>	<p>Udit delecano 2 23 bun me दि</p>
21-4-15	<p>अप उपपदा उपस्थित प्रतिवादी म नी उंगर में अदिवार पत्र जवाब पेश किया गया जिस नी एव प्रति वादी वकील वीगड पत्रावली करते तलक्किपार हेतु दिनांक 26-5-15 को पेश हो ।</p>	
23-6-15	<p>पत्रावली कोर्ट केमप एडिन, पर देश / प्रतिवादी अदिबन-ता ने गजोतामा पत्र पेश किया गया जिस में प्रतिवादी गज उदा, भंवर पिता होश जाट एव श्रीमती गड केत होश ने वादी शमलाल व वाद अहसार व हिम्मा क वने सुतासिल, विभाजन का नद पत्र पेश किया गया जिस नी प्रतिवादी म</p>	

स्वीकार करते हैं, वादीवा के हिस्सा पर
काबजता है, प्रतिवादी उदा के हिस्सा व शॉवर
का के हिस्सा पर काबजता है प्रतिवादी गट
का के हिस्सा पर काबजता है

प्रतिवादी काबजे अनुसार प्रत्येक के
के हिस्से का विभाजन करता स्वीकार करते
हैं, दूरन मुताबिक, विभाजन की डिप्टी कबजे
अनुसार प्रत्येक का के हिस्से मुताबिक डिप्टी
पारित कर दी जावे।

उक्त शर्तीनामा अनुसार आदेश
दिये जाते हैं कि ग्राम वीथान के खाल
अंक 23 के आ. न 2249, 2251, 2251/1,
2281, 2282, 2424, 2425 कुल नितान के
कुल खाले इलीटा (रविशवा पर
वादीवा के हिस्सा व प्रतिवादीका)। अं 3
का मुखल, धुयल के हिस्से व काबजे अनुसार
शजरत रेकार्ड में संवन की डिप्टी जावे
है।

उक्त पर निर्णय सुले नया फालफ में
सुनाया गया।

पत्रावली पेशल सुमार हो करजाकर
संवासे है।

(देवी सिंह)
फैलासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मण्डल

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान: रुड़वा

पीठासीन अधिकारी: - देवी सिंह

रामलाल उनवान उदा वारा
बनाम उदा वारा
दावा बाबत ₹ 3,54 एवं 158 श.००.37

मुकदमा नम्बर :- 17/15

निर्णय दिनांक 23.6.15

वादी की ओर से — की व प्रतिवादी की ओर

से व. सुदीधिवन्ता की उपस्थिति में इसवाद में आज तारीख 23.6.15

को रुड़वा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी

के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश विद्यमान है और

डिक्री दी जाती है कि

राजीनामा अनुसार आदेश दिया जाता है कि श्राव
पीठान के खाता सं० 33 के अ.नं० 2240, 2241, 2241/1
2281, 2282, 2424, 2424/1, 2425 हफ्ता वित्त 8
हफ्ता खर्चा 8 वीषा 17 वित्त पर वाकी 1/2 हिस्सा व
पति सं० (से 3 का प्रयत्न, प्रयत्न 1/2 हिस्से व वाकजे अनुसार
शहर के रेगार्ड में अंकन करें)

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 23.6.15 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(देवी सिंह)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

वाद के प्रचलन सहायक कलक्टर माण्डल

वादी	रकम	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निवेदन
5. साक्षियों के लिए निवेदन व्यय		आदेशिका की तागिल
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तागिल		जोड़